

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 129/18

कैम्प ग्राम पंचायत 25/11/18

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण,



सत्यमेव जयते

तहसीलदार

Web Copy - Not Official

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 25/11/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री सुबोध पुष्प गणपतराम जाति सुबोध पुष्प गणपतराम निवासी सुबोध पुष्प गणपतराम तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है वादी का नाम ग्राम सुबोध पुष्प गणपतराम क खाता संख्या/खसरा नम्बर 661, 611, 659, 660 में श्री सुबोध पुष्प गणपतराम जाति सुबोध पुष्प गणपतराम अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम सुबोध पुष्प गणपतराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प सुबोध पुष्प गणपतराम में पेश करे। पत्रावली कैम्प सुबोध पुष्प गणपतराम में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प सुबोध पुष्प गणपतराम में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में डी स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम सुबोध पुष्प गणपतराम तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 661, 611, 659, 660 में वादी श्री सुबोध पुष्प गणपतराम निवासी सुबोध पुष्प गणपतराम की जगह वादी का सही नाम सुबोध पुष्प गणपतराम जाति सुबोध पुष्प गणपतराम निवासी सुबोध पुष्प गणपतराम दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/18 को सरे आम कैम्प सुबोध पुष्प गणपतराम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)